दिनांक 16.12.2016 को बामेती, पटना के सभाकक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में कृषि निदेशालय एवं भूमि संरक्षण निदेशालय से संबंधित कार्यवाही।

उपस्थितिः— पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. बीज

1.1 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा रबी मौसम में राज्य में बीज आपूर्ति करने वाले 6 निगमों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बताया गया कि गेहूँ का 208480.60 क्वीं0, चना का 2321.40 क्वीं0, मसूर का 5581.12 क्वीं0, मटर का 338.15 क्वीं0, राई/सरसों 409.38 क्वीं0, मक्का 1267.50 क्वीं0, तीसी 32.40 क्वीं0 तथा तोरिया 30.00 क्वीं0 की राज्य में उपलब्धता की जानकारी बैठक में दी गई। किसी भी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बीज की कमी की सूचना नहीं दी गयी।

उपर्युक्त के अलावा अब तक प्राइवेट प्रतिष्ठानों द्वारा गेहूँ के 193237.76 क्वीं0, चना 285.00 क्वीं0, मसूर 780.48 क्वीं0 राई/सरसों 3676.71 क्वीं0, मक्का 131397.00 क्वीं0, बोरो धान 156 क्वीं0 एवं सूर्यमुखी के 39.00 क्वीं0 बीज की उपलब्धता की जानकारी दी गई है।

1.2 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, मधुबनी, समस्तीपुर, लखीसराय एवं जमुई जिला से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। समीक्षा में प्रतिवेदन अप्राप्त जिला के जिला कृषि पदाधिकारी में से नालंदा द्वारा बताया गया कि 115.00 क्वीं0 गेहूं बीज का वितरण हो गया है, नवादा द्वारा 298.00 क्वीं0, शिवहर द्वारा 81.20 क्वीं0, मधुबनी द्वारा 352.00 क्वीं0, समस्तीपुर द्वारा 486.00 क्वीं0 लखीसराय 190.00 क्वीं0, जमुई द्वारा 182.00 क्वीं0 गेहूं बीज वितरण की जानकारी बैठक में दी गयी। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में कम बीज उठाव एवं वितरण करने के कारण **प्रधान सचिव द्वारा जमुई एवं खगड़िया से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।** बिहार राज्य बीज निगम द्वारा आपूरित गेहूं बीज उठाव की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 8 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पूर्ण बीज का उठाव नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है : **मात्रा—क्वीं0 में।**

क्र0सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	उठाव	अवशेष
1	कैमूर	**678.80**	**500.00**	**178.80**
2	सारण	**702.40**	**443.40**	**259.00**
3	सिवान	**609.60**	**348.20**	**261.40**
4	गोपालगंज	**623.60**	**550.00**	**73.60**
5	कटिहार	**608.80**	**383.00**	**225.80**
6	नवादा	**416.00**	**337.80**	**78.20**
7	खगड़िया	**122.40**	**100.00**	**22.40**
8	भागलपुर	**608.00**	**575.20**	**32.80**

(अनु0— संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक, शष्य, बीज)

1.3 एकीकृत बीज ग्राम योजना की समीक्षा में पाया गया कि कैमूर जिला में गेहूं बीज 250.00 क्वीं0 के विरूद्ध 24.00 क्वीं0 का उठाव हुआ है जो असंतोषजनक है। भोजपुर मे भी लक्ष्य के विरूद्ध कम

गेहूँ बीज का उठाव हुआ है। दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बीज का उठाव कर शत–प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करवाया जाय।

1.4 प्रमाणित बीज वितरण की समीक्षा में पाया गया कि नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज एवं अररिया द्वारा वितरण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। औरंगाबाद एवं सुपौल को छोड़कर सभी जिला द्वारा बताया गया कि प्रमाणित गेहूं बीज का वितरण हुआ है।

1.5 आधार बीज पर अनुदान योजना में केवल बक्सर एवं बांका जिला द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, शेष जिला से प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसे अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

1.6 सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना में नालंदा, कैमूर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सिवान, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, पूर्णियां, कटिहार एवं खगड़िया से प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– कंडिका 1.3 से 1.6–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

1.7 खरीफ 2016 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, धान मिनीकिट योजना में राशि निकासी की समीक्षा में पाया गया कि 709.03 लाख रू0 आवंटन के विरूद्ध अब तक 170.21 लाख रू0 की निकासी हुई है जो बहुत ही असंतोषजनक है।

बीज योजनाओं की समीक्षा में प्रधान सचिव, कृषि द्वारा निर्देश दिया गया है कि :

- मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में गेहूं बीज, एकीकृत बीज ग्राम योजना में गेहूं बीज, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना, आधार बीज पर अनुदान योजना एवं प्रमाणित गेहू बीज वितरण योजना में बीज का उठाव एवं शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0– सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

- बीज की सभी योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन Google doc पर नियमित रूप से अपलोड किया जाय।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

- **खरीफ 2016 में 20% से कम निकासी करने वाले जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय।**

(अनु0– उप निदेशक (शष्य) बीज)

2- District Irrigation Plan (DIP) :-

2.1 सूचित किया गया कि अभी तक मात्र जहानाबाद से ही सही डी0आई0पी0 प्राप्त हुआ है। कुछ जिलों यथा–कैमूर, गया, पटना, नालन्दा, बक्सर एवं अरवल से डी0आई0पी0 प्राप्त हुआ था लेकिन उसमें त्रुटि रहने के कारण लौटा दिया गया है। निदेश दिया गया कि किसी तकनिकी पदाधिकारी को राष्ट्रीय कृषि विकास कोषांग में भेजकर त्रुटि का निराकरण करा लें। सूचित किया गया कि डी0आई0पी0 तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनतर्गत लेखन कार्य हेतु प्रत्येक जिला को 10.00 लाख रू0 स्वीकृत किया गया है। इसका उपयोग करने का निदेश दिया गया।

2.2 **सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिनांक 31.12.2016 तक जिला का डी0आई0पी0 तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। जो जिला कृषि पदाधिकारी निर्धारित तिथि तक डी0आई0पी0 समर्पित नहीं करेंगे उन्हें निन्दन की सजा दी जाएगी।**

(अनु0– कंडिका 2.1 से 2.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद को छोड़कर)

3. <u>ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र :–</u>

3.1 सूचित किया गया कि लम्बित ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जा रही है। पीछले माह लोक लेखा समिति की बैठक में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि मधुबनी एवं सहरसा जिला में लंबित ए0सी0 विपत्र के लिए संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं उसकी प्रति उपलब्ध कराई गई। इस पर लोक लेखा समिति द्वारा कहा गया कि प्राथमिकी पर आगे क्या कार्रवाई हुई, उसका अद्यतन प्रतिवेदन से समिति को अवगत कराया जाय। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी एवं सहरसा को अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0– जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी एवं सहरसा)

3.2 सूचित किया गया कि दिनांक 18.10.2016 से 28.11.2016 तक डीजल अनुदान का ए0सी0 विपत्र समायोजित कराने वाले जिला है :– बेगूसराय, भोजपुर, गया, कटिहार, पटना, समस्तीपुर एवं सासाराम। अन्य जिलों की प्रगति इस अवधि में शून्य रही है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को अवशेष राशि का समायोजन एक सप्ताह के अन्दर कराने का निदेश दिया गया।

3.3 निदेश दिया गया कि पूर्व में जो डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को समर्पित किया गया था एवं महालेखाकार द्वारा न तो समायोजित किया गया है न ही मूल अभिश्रव लौटाया गया है, वैसे ए0सी0 विपत्रों के अभिश्रवों की छायाप्रति को अभिप्रमाणित कर पूर्व की प्राप्ति रशीद के साथ डी0सी0 विपत्र तैयार कर बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग को समर्पित की जाय ताकि विभागीय स्तर पर डी0सी0 विपत्र को समेकित कर महालेखाकार को समर्पित किया जा सके।

(अनु0– कंडिका 3.2 से 3.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>आत्मा योजना :–</u>

4.1 सूचित किया गया कि आत्मा योजना स्वीकृति हेतु प्राधिकृत समिति में गया है एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्थायी वित्त समिति से स्वीकृति हो गयी है।

4.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल राशि व्यय की स्थिति अरवल, कैमूर, मुंगेर तथा किशनगंज में, प्रशिक्षण मद में उपलब्धि बक्सर, नालन्दा, रोहतास, सीतामढ़ी तथा अरवल में, प्रत्यक्षण मद में उपलब्धि मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया तथा सुपौल में एवं कृषक समूह के गठन की उपलब्धि सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण में बहुत ही दयनीय है।

4.3 सफलता की कहानी भारत सरकार के विहित प्रपत्र में अभी तक अधिकांश जिलों से अप्राप्त है। निर्धारित प्रपत्र में फोटो के साथ सफलता की कहानी तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

4.4 सूचित किया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आत्मा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि के अंकेक्षण हेतु दो संस्थानों का चयन कर जिलावार तिथि निर्धारित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि वे जिला में जायेंगे तो इनको सहयोग करेंगे तथा अभिश्रव, रोकड़पंजी, बैंक पासबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट को अद्यतन कर अंकेक्षण करा लेंगे।

4.5 निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत सभी जिला कृषि पदाधिकारी को पॉच किस्तों में जो राशि दी गई थी उसमें से खर्च की गई राशि का अभिश्रव का अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अवशेष राशि अविलम्ब भेज दिया जाय।

4.6 NGeP योजनान्तर्गत कम्प्यूटर आदि क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई गई राशि को बामेती को लौटाने का निदेश दिया गया। क्योंकि एकीकृत रूप से इसकी खरीद बेल्ट्रान के माध्यम से की जा रही है।

(अनु0– कंडिका 4.1 से 4.6– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)